

आदेश पत्रक

वाद सं० - 1442/22-23 मु० रु०-७४७९ दिनांक -
 1443/22-23 मु० रु०-७४८० कर्ता का प्रकार :- " नामांतरण

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

आदेश की कम सं० और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

1

2

3

28¹/₂₃

आपत्तिकर्ता - रनवर आलम पिता स्व० इस्तेयाक अंसारी विक्रेता - रबुल आलम पिता स्व० मौ० अलाउद्दीन मियाँ, क्रेन अरवा रवानून पति सेद अंसारी, नईम अंसारी पिता स्व० इसमाइल मियाँ उपरिथन।

आपत्तिकर्ता ने बताया की ग्राम - डीही मै इसमाइल मियाँ, कुदुस मियाँ, अलाउद्दीन मियाँ वै आलमाहमद मियाँ पिता गुलजार मियाँ के नाम से रवाना रु० 20, लै८ रु०-४६१, रकवा ०.७४ रु० भूमि दर्ज है जिसमे अलाउद्दीन मियाँ (विक्रेता के पिता) का हिस्सा ०.१९ $\frac{1}{2}$ रु० बनता है परन्तु इन्होने उन्होने पुर्व मे केवाला रु० ४१७ दिनांक - 28/०७/२०१४ द्वारा मेरे एवं मेरे माईचो के नाम से C.S रवाना रु० 62 लै८ रु० 408, रकवा ०.२१ रु० भूमि विक्री किया है पुनः इन्होने इनके पुत्र रबुल आलम ने R.S रवाना रु० 20, लै८ रु० ४६१, के अनुसार अरवा रवानून को ०.०५ रु०, नईम अंसारी को ०.०४ रु० भूमि विक्री कर दिया जो सरासर गलत है।

विक्रेता ने कहा की मेरे पिता ने केवाला नहीं किया है साक्षय स्वरूप मे आपत्तिकर्ता द्वारा केवाला रु० ४१७ दिनांक 28/०७/२०१४ स्वर्गित किया जिसे अभिलम्बवहु किया जाता है।

P.T.O

आदेश पत्रक

आदेश
की क्रम
संख्या और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

23
3
कार
वा
टिप्प
तारी
सहित

3

1 2 3

स्वतंत्र यजकारों को जुनने के पश्चात् एव
उपलब्ध इस्तावेष के अक्लोकन पश्चात् इस
नियम के पर पहुंचना हुआ कि अपनिकर्ता को आपत्ति
नहीं है अतः इस्तावल आलम द्वारा विक्री की जाए
मुझे स्वतंत्र नामांतरण वाद संख्या 1442/22-23
एवं 1443/22-23 को अस्वीकृत किया जाता है।

28/1/23
इस्तावल अधिकारी,
लालहार